न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेडा,जिला चित्तौडगढ(राज.)

(पीठासीन अधिकारी – विकास पंचोली आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 20 / 2022
जीसीएमएस न0 2022 / 150

1. अणछीबाई पुत्री रतनलाल गुर्जर आयु वयस्क निवासी सरथल तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज
2. जीतमल पुत्र रतनलाल गुर्जर आयु वयस्क निवासी सरथल तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज० 9414148630

प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाशचन्द्र पिता स्व० ऊंकारलाल गुर्जर आयु वयस्क निवासी नवाबपुरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०
2. शोकिन पिता स्व० ऊंकारलाल गुर्जर आयु वयस्क निवासी नवाबपुरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०
3. वकिल पिता स्व० ऊंकारलाल गुर्जर आयु वयस्क निवासी नवाबपुरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०।
4. सनाबाई पुत्री स्व० ऊंकारलाल गुर्जर आयु वयस्क निवासी नवाबपुरा तह० निम्बाहेडा हाल मुकाम सामरी
5. कंचनबाई पुत्री स्व० ऊंकारलाल गुर्जर आयु वयस्क निवासी नवाबपुरा हा० मु० रावलीया तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०।
6. चन्द्रबाई पत्नि स्व० ऊंकारलाल गुर्जर निवासी बनेटी पोस्ट सावा तह० व जिला चित्तौडगढ़ राज०।
7. रतनीबाई पत्नि स्व० ऊंकारलाल गुर्जर निवासी नवाबपुरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०।
8. नानीबाई पत्नि भगवाना गुर्जर निवासी नवाबपुरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
9. भेरुलाल पुत्र भगवाना गुर्जर निवासी नवाबपुरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०
10. रतनी बाई पुत्री भगवाना गुर्जर निवासी नवाबपुरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़।
11. सन्तोष बाई पुत्री भगवाना जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी नवाबपुरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०।
12. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार निम्बाहेडा।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1– श्री ऋषभ से[illegible] [illegible]ता प्रार्थीगण
2– पेरोकार सरकार [illegible]वय[illegible] [illegible]स्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 16:00:33 IST
Reason: SelfAttested

::निर्णय::

दिनांक 06.09.2024

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेडा–जिला चित्तौडगढ (राज.)

प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके मौजा नवाबपुरा पटवार हल्का टाई तह० निम्बाहेडा की खाता संख्या 34 की आराजी नं0 116 रकबा 2.0100 हैक्टेयर स्थित है।

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

2. वादग्रस्त आराजी नंम्बर 116 मौजा नवाबपुरा तहसील निम्बाहेडा प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की चली आ रही है प्रार्थीगण की उक्त आराजी नं0 116 पर आने जाने का एक मात्र कदीमी रास्ता जो उत्तर से दक्षिण होकर विपक्षी नं० 1 से 7 के पिता व पति उंकारलाल पुत्र भोजा जी गुर्जर निवासी नवाबपुरा की आराजी नं0 121 एवं विपक्षी नं० 8 ता 11 की आराजी नं0 120 की पश्चिमी मेड एवं सरकारी नाला आराजी नं0 114 की पूर्वी मेड के मध्य से होता हुआ प्रार्थीगण की आराजी नं0 116 पर जा रहा हैं। उक्त रास्ता 12 फीट चौडा मौके पर चला आ रहा है और उक्त रास्ते से प्रार्थीगण अपनी आराजीयात पर कदीम से हल बैल गाडी ट्रेक्टर आदि लाते ले जाते चले आ रहे है उक्त कदिमी रास्ता जब से प्रार्थीगण को जान पडता है तब से प्रार्थीगण के बाप दादाओं के समय से 100 वर्षो से अधिकसमय से कदिम से प्रार्थीगण इसी एक मात्र कदिमी रास्ते का उपयोग उपभोग अपने बाप दादा के जमाने से करते चले आ रहे है उक्त कदिमी रास्ते के अलावा मौक पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण की आराजीयात पर आने जाने हेतु मौके पर मौजुद नही है विपक्षीगण प्रार्थीगण के उक्त कदीमी रास्ते में जबरन अवरोध पैदा कर प्रार्थीगण के रास्ते को हांकर कर खाई खोदने की धमकी देकर रास्ते को बंद करने पर आमादा है तथा प्रार्थीगण के उक्त कदिमी रास्ते में गड्डे आदि खोदकर व पत्थर डाल कर रास्ते के स्वरुप में परिवर्तन करने पर आमादा है व बंद करने पर आमादा है तथा प्रार्थीगण व गांव के मौतबिर व्यक्तियों द्वारा समझाने बुझाने पर भी नही मान रहे है तथा विपक्षीगण प्रार्थीगण से मौके पर आये दिन लडाई झगडा करते है तथा प्रार्थीगण की नं0 116 पर आने जाने मे अवरोध पैदा करते है, और प्रार्थीगण व गांव के मौतबीर व्यक्तियों द्वारा समझाने बुझाने पर भी नही मान रहे है। जबकि उक्त 12 फीट चौडा गाडी गडार रास्ता प्रार्थीगण का कदीमी रास्ता है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण अपने बाप दादा के जमाने से, बिना किसी बाधा के करते चले आ रहे हैं।

3. प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को उक्त कदीमी रास्ता जो 12 फिट चौडा है उक्त रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. रेट के अनुसार जो भी रकम बनती है वह रकम प्रार्थीगण विपक्षीगण को देने के लिए तैयार है परन्तु वह उक्त रकम नही ले रहे है तथा प्रार्थीगण अपनी आराजीयात में से जमीन के बदले जमीन भी विपक्षीगणो को देने के लिए तैयार है परन्तु विपक्षीगण दिगर लोगो के सिखावे में आकर जबरन उक्त कदिमी रास्ते को बंद करना चाहता है और रास्ते मे अवरोध पैदा करना चाहता है प्रार्थीगण का उक्त रास्ता एक मात्र कदिमी रास्ता है। उक्त रास्ते को बंद कर देने की सुरत मे प्रार्थीगण का अपनी आराजीयात पर आने जाने का उक्त एक मात्र रास्ता बंद हो जाने पर प्रार्थीगण की आराजीयात पडत पडी रह जावेगी, प्रार्थीगण अपनी आराजीयात का उपयोग उपभोग नही कर सकेगें, तथा प्रार्थीगण पर जबरन नाजायज दबाव डालकर कोडीयों के भाव प्रार्थीगण की जमीन को रास्ते की आड में जबरन हडपना चाहते है और प्रार्थीगण की भूमि को हर सुरत में पद्धत रखवाने पर आमादा है, जिससे प्रार्थीगण की अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए प्रार्थीगण विपक्षीगण द्वारा उक्त रास्ते की भूमि की किमत डी. एल.सी.रेट से नहीं लेने से प्रार्थीगण उक्त राशि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार माननीय न्यायालय में जमा करा कर राजस्व रेकार्ड [illegible] दर्ज कराने के अधिकारी है तथा प्रार्थीगण की आराजीयात पर आ[illegible] एक मात्र कदीमी रास्ता जो उत्तर से दक्षिण होकर [illegible] उंकारलाल पुत्र भोजा जी गुर्जर निवासी नवा[illegible] नं० ४ ता 11 की आराजी नं0 120 की [illegible] नाला आराजी नं० 114 की पूर्वी मेड के मध्य से होता हुआ प्रार्थीगण की आ[illegible] नं० 116 पर पहुंचता है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते को बदस्तुर कायम रखाने के अधिकारी है और प्रार्थीगण उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करने के अधिकारी हैं तथा विपक्षीगण द्वारा दौराने प्रार्थना पत्र यदि मौके पर रास्ता बंद कर देने की सुरत में जरिये अदालत पुनः रास्ता खुलवाकर बदस्तुर कायम रखाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 16:00:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज)

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

4. प्रार्थना पत्र का वाद कारण विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण के उक्त एक मात्र कदीमी रास्ते मे दिनांक 25–12–2021 को जब प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की हकाई जुताई एवं बुवाई हेतु ट्रेक्टर लेकर गये और विपक्षीगण एवं उनके परिवारजनो द्वारा रास्ते मे आडे फिर कर जबरन रास्ता रोकेने की कोशिश की और जबरन रास्ता हांक कर बंद करने की धमकियां दी और समझाने बुझाने पर भी नही मानने से हर रोज उत्पन्न होकर यह प्रार्थना पत्र अंदर अवधी पेश हैं।

5. प्रार्थन पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रागण की आराजी नं० 118 पर आने जाने का एक मात्र कदीमी रास्ता जो विशी नं 1 से 7 के पिता व पति उंकारलाल पुत्र भोजाजी गुर्जर निवासी नवाबपुरा की आराजी नं० 121 एवं विपक्षी नं० ता 11 की आराजी नं० 120 की पश्चिमी मेड एवं सरकारी नाला आराजी नं० 114 की पूर्वी मेड के मध्य से होता हुआा प्रार्थीगण की आराजी नं० 118 पर पहुंचता है। उक्त रास्ता 12 फीट चौडा रास्ता जिससे कदीम से प्रार्थीगण अपनी आराजीयात पर हल बैल गाडी ट्रेक्टर आदि कृषि उपकरण लाते ले जाता चला आ रहा है। उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग में विपक्षीगण किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें न किसी अन्य से करावे तथा प्रार्थीगण के उक्त कदीमी रास्ते में किसी प्रकार से पत्थर नहीं डाले, गडे, खाई आदि नहीं खोदे तथा रास्ते के स्वरुप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे न करावें प्रार्थीगण को अपने उक्त एक मात्र कदिमी रास्ते का उपयोग उपभोग बदस्तुर करने दे तथा दौराने प्रार्थना पत्र उक्त रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध पैदा करने की सुरत में जरिये अदालत उक्त अवरोध को हटाया जाने के अधिकारी है, तथा रास्ते की जमीन की किमत डी.एल.सी. रेट से माननीय न्यायालय के आदेशानुसार माननीय न्यायालय मे उक्त राशि जमा की जाकर राजस्व रेकार्ड व नशे मे उक्त रास्ते का अंकन कराने के अधिकारी है।

6. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षीगणों को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षी संख्या 1 से 11 को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 11 बावजूद तामिल एवं सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तहसीलदार निम्बाहेडा ने रिपोर्ट इस कार्यालय कों प्रस्तुत की है। रिपोर्ट में अंकन किया कि मौजा नवाबपुरा पटवार हल्का टाई की आराजी नम्बर 116 पर आने–जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। मौके अनुसार आराजी नम्बर 129 में एक रास्ता मोजूद है जिससे आया जाया जा सकता है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी नम्बर 116 से 129 तक के लिए रास्ते में आने वाली भूमि निम्नानुसार रहेगी

आराजी नम्बर	रकबा	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा
120	0.48	0.0300 हैक्टैयर
121	0.76	0.0300 हैक्टैयर
126	0.31	0.0400 हैक्टैयर
कुल भुमि		00 हैक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 16:00:33 IST
Reason: SelfAttested

दोनो पक्षो के अभिभाषक की मौखिक बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस में मनन किया गया

5. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी तहसीलदार की मौका–रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–'क' का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है–

सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा

धारा 251–क– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना–(1) जहॉ

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से एक नया मार्ग बनाना चाहता है, या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसा अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड़ अधिकारी को आवेदन कर सकेगे, और उपखण्ड़ अधिकारी, यदि सक्षिप्त जॉच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ नये मार्ग के मामले में, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फिट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसे ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो **लघुत्तम या निकटतम रूट** से एक नया मार्ग जो 30 फिट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमार्ग को चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(1) जहॉ–उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(2) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ठ सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के [illegible] लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बावत् आमद–रफत हेतु [illegible] की [illegible] में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु [illegible] काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क निम्न पूर्वशर्तों को आरोपित क[illegible] है जो इस प्रकार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 16:00:33 IST
Reason: SelfAttested

1. खातेदार की रास्ते बावत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
2. खातेदार की रास्ते बावत् आत्यान्तिक आवश्यकता।
3. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

7. हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो एवं दस्तावेज के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि मौजा नवाबपुरा पटवार हल्का टाई की आराजी नम्बर 116 रकबा 2.01 हैक्टेयर पर पहुच मार्ग हेतु आराजी नम्बर 120 रकबा 0.48 हैक्टेयर में से 0.03 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 121 रकबा 0.76 हैक्टेयर में से 0.03 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 126 रकबा 0.31 हैक्टेयर में से 0.04 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु सबसे उपयुक्त एवं सबसे निकटतम रास्ता है। अन्य कोई विकल्प नहीं होकर, अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगणों की आराजियात पर प्रस्तावित भूमि रास्ते के उपयोग में दर्ज किया जाने हेतु प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/भू.अ./पीडी 251–ए/2024 /290 दिनांक 22.08.2024 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अवलोकन तथा प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है वह ग्राम प्रार्थीगण को अपनी वाके मौजा नवाबपुरा पटवार हल्का टाई की आराजियात 116 रकबा 2.01 हैक्टेयर भूमि में पहुंचने हेतु ग्राम नवाबपुरा पटवार हल्का टाई की आराजी नम्बर 120 रकबा 0.48 हैक्टेयर में से 0.03 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 121 रकबा 0.76 हैक्टेयर में से 0.03 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 126 रकबा 0.31 हैक्टेयर में से 0.04 हैक्टेयर भूमि 0.1000 हैक्टेयर भूमि का रास्ता जो की प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ते में आयी भूमि के एवज में राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम–70 के अनुसार तथा प्रार्थीगण से डी.एल.सी दर की दुगुनी क्षतिपूर्ति राशि वसूल कर विपक्षीगण को उनके राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार क्षतिपूर्ति के रूप में दिलायी जावें अथवा प्रार्थीगण द्वारा उक्त नवीन रास्ते में आयी भूमि के एवज में समान अवस्थिति पर समान रकबे की भूमि का विकल्प के आधार पर उक्त नवीन रास्ते को खाता संख्या–1 सिवायचक में सार्वजनिक उपयोग हेतु किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर अंकन किया जावें। दिनांक 22.08.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट व नजरी नक्शा निणर्य का अनन्य भाग रहेगा। उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार निम्बाहेडा को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 16:00:33 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचौली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा